उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा)

हजारीबाग जिला के बरही अंचल अन्तर्गत 220/132/33 के.भी. ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु झारखण्ड उर्जा निगम लि० को Deemed Forest भूमि (जंगल, झाड़ी) इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित अधिसूचित वन भूमि हस्तांतरण के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ, जंगल Deemed Forest भूमि (जंगल झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो जिला हजारीबाग अंचल-सदर के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया जाना है।

कं.	वन भूमि का स्थल(प्रखण्ड)	जिला	वन प्रमण्डल	मीजा का नाम	थाना नं 0	खाता नं 0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ नं०)	किस्म भूमि
1	बरही	हजारीबाग	पश्चिमी वन प्रमण्डल	खोड़ाहर	56	45	1445	10.00 ਦ.	गैर मजुरूवा खास जंगल

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य (Deemed Forest) है। झारखण्ड उर्जा संचारण निगम लिमिट्रेड, हजारीबाग को ग्रीड सबस्टेशन के निर्माण के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापित प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के शालोक में प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमित प्राप्त कर ली जाय।
- 2. पूर्वानुमित प्राप्त होने के पश्चात इसके विधियत हस्तानतरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्तान संगर्पित किया जायगा।

उपायुक्त, हजारीबाग।

प्रतिलिपिः- विद्युत अधीक्षण अभियन्ता संचरण प्रक्षेत्र-\/ः उजारीबाग को स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विशास, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कपया जिला के वेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

> उपायुक्त, हजारीबाग ।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector, Hazaribagh

No. 1055

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.048 hectare (10.00ac.) of forest land proposed to be diverted in favour of Jharkhand Urja Nigam Ltd for Construction of Power Grid Substation. in Hazaribag district falls within jurisdiction of Khodahar villages in Barhi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.048 hectare (10.00ac.) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Barhi, Khodahar** villages is enclosed as annexure 1"A" to annexure 1"D"
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encls.: As above

District wellows officer

Deputy Commissioner Hazaribag

प्रामित्र क्षेत्र आउरवार उन्थी संस्थित विकास निप्रापिटेड (प्रवर क्षेड्र सक रूट अप मशहूरनाम र्रेगड़ासाहर -400 शु भाग ना दृद् भाना करही. जिला ७० १०% प्रमाना १६" २ मिल वन रिममा देखा वन रवामा १ का २ - रक्त वा 8x 188x -90.00 (95 -याम्बरी 3) जंगल दा - राक्रमा रेग्पी 3- मिनिक रेगर्केन D 4/28